प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **200/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Jitendra Menaria Add: 171, Srinagar, Gayariyabas, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329601466058319 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1328781913 दिनांक 04.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/200/25/1229–30 दिनांक 04.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू. अ.अ./2005/2025/1877 दिनांक 26.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी नकल, फाईल आदि अपलोड नहीं की गई। अतः इस कार्यालय के पत्रांक 1646 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा वांछित सूचना "Sir Pls provide copy above file along with notesheet and khasra nakal" में किसी प्रकार की खसरा नकल, फाईल आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा आवेदन में किसी प्रकार का खसरा नकल, फाईल आदि का उल्लेख नहीं किया गया इसलिए प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः प्रथम अपील सारहीन होने से को खारिज करवाये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिनांक 16.10.2025 को आवेदन अंतर्गत खसरा संख्या 118 में से बनाए गए नए खसरा नंबर 116/345 की पत्रावली की प्रति चाही गई थी। जिसके जवाब में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की खसरा नकल फाईल आदि का उल्लेख नहीं किया गया है अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है जबकि मेरे द्वारा आवेदन में खसरा संख्या 118 में से खसरा संख्या

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

116/345 का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। अतः अनुरोध है कि गडरिया वास ग्राम की खसरा नंबर 118 में बनाए गए नए खसरा संख्या 116/345 की प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करवाने का कष्ट करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में विशिष्टियों को उल्लेख नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई सूचना का अंकन किया गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में उपलब्ध कराये। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर